



आदेश पत्रक

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

वाद सं०-49 /2022 (144 दं०प्र०सं०)

बीबी सैरुण वगै० बनाम जब्बार मियां वगै०

0
18.4.22
26.4.22
23.5.22
17.6.22

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तिथि सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

12.7.22

आवेदिका बीबी सैरुण पति-उसमान मियां, साकिन-लखारी, थाना-पचम्बा, जिला-गिरिडीह के द्वारा जमीन संबंधी विवाद को लेकर वकालतनामा के साथ आवेदन देते हुए धारा-144 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई है। साथ ही विवादित स्थल पर शांति-व्यवस्था एवं यथारिथिति बनाये रखें।

P
71

1. थाना प्रभारी से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 15/02/2022 को रखें।
लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

15.02.22

थाना प्रभारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

04.3.22

04.03.22

प्रथम पक्ष की हामी है
थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के लक्षण है कि
हवल के फसल लगा हुआ है जो चाप
खोर 5 अर्ध की पाहरिवाती है हवल के स्थिति
व्याप्य है
हवल के व्याप्य 145 लागू किया जा रहा है।
द्वारा पक्ष के गैरिड गिरिडीह
कार्यपालक-उसमान

शेका में

माननीय न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी
गिरिडीह ।

प्रसंग :- भवदीय न्यायालय का जां०-७।न्या० दि०-०१-०२-२२

विषय :- माननीय न्यायालय वाद सं०-५९/२२ कीकी खैलुण
वगैरह बनाम जक्कार मिथा वगैरह में धारा-१५५
द० प्र० २० के अन्तर्गत स्थलीय जांच प्रतिवेदन ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित
करते हुए कहना है कि माननीय न्यायालय का वाद सं०-५९/२२
कीकी खैलुण वगैरह बनाम जक्कार मिथा वगैरह में धारा-१५५
द० प्र० २० के अन्तर्गत स्थलीय जांच का प्रभार थाना प्रभारी पर्यंत
के द्वारा मुझे सौंपा गया, आदेवानुसार मैंने उक्त स्थल का जांच
स्थानीय लोगों के मौजूदगी में किया तो यह बात प्रकाश में
आयी है कि मौजा लखारी थाना न०-१०१, खाता सं०-६८,
टलाह सं०-३५५ रकबा ५६ डीसमील के मध्ये २० डीसमील के
मध्ये १० डी० जमीन को कीकी खैलुण पति रोजन मिथा और
कीकी खैलुण पति, उस्मान मिथा सं०-लखारी थाना-पचम्बा
जिला-गिरिडीह ने दर्जान तुरी पिता-सोमर तुरी और रामलाल
तुरी पिता-पाचू तुरी सं०-लखारी थाना-पचम्बा जिला-गिरिडीह
से खरीदा है। उक्त २० डी० जमीन पर दोनो आदमी करावर
के हिस्सेदार होते हैं। परन्तु कीकी खैलुण पति उस्मान मिथा
और इसशक मिथा को उक्त खरीदगी जमीन में हिस्सा प्राप्त
नही होने की बात बताया जाता है। उक्त जमीन पर द्वितीय
पक्ष जक्कार मिथा और कमरुद्दीन मिथा का दखल कब्जा
है। वर्तमान में उक्त जमीन चारो तरफ से लगभग ०५
फीट ऊंचा ईट से चारदिवार किया हुआ है तथा जमीन
में गेहूँ और धाज लगा हुआ है। जमीन के कोचो-कोच
को कंठल के पेड़ लगा हुआ। विवादि जमीन का वार
Lug - 24.19131, Lug - 86.28581 है। जांच में यह भी
बता प्रकाश में आयी है कि उक्त जमीन को लेकर दोनो
पक्षों में काफी तनाव बना हुआ है। दोनो ही पक्ष अपना-
पक्ष में काफी तनाव बना हुआ है। दोनो ही पक्ष अपना-

अग्रसारित

07/02/22
थाना प्रभारी
पचम्बा थाना
गिरिडीह (आ०)

NR-170/22